कार्यालय आयुक्त
आदिम जाति तथा अनुसूचित जाति विकास
छत्तीसगढ़, रायपुर

क्रमांक/अ0सं0/151/2013–14/ 7190 रायपुर, दिनांक 03/9/14

//अल्पसंख्यक शैक्षणिक संस्था का मान्यता प्रमाण पत्र//

//आदेश//

छत्तीसगढ़ शासन, आदिम जाति तथा अनुसूचित जाति विकास विभाग की अधिसूचना कमांक/एफ–19–10/2013/25–2/रायपुर दिनांक 31.05.2013 में प्रत्याहृत के पश्चात् पुनः शासन के पत्र कमांक/एफ–19–10/2013/25–2, नया रायपुर दिनांक 22.02.2014 द्वारा अल्पसंख्यक समुदाय में जैन समुदाय को अल्पसंख्यक घोषित किये जाने पर तथा छ.ग. शासन, आदिम जाति तथा अनुसूचित जाति विकास विभाग के पत्र कमांक/9096/2007/25–2/आजावि, रायपुर दिनांक 11.10.2007 में प्रदत्त अधिकार के आधार पर नीचे लिखे शैक्षणिक संस्था को धार्मिक अल्पसंख्यक शैक्षणिक संस्था की निम्नलिखित शर्तो के अधीन स्थायी मान्यता प्रदान की जाती है :–

क्रं.	जिला	अशासकीय संस्था का नाम	पंजीयन कमांक दिनांक	शैक्षणिक संस्था का नाम	प्रारम्भ वर्ष	विशेष
1	2	3	4	5	6	7
1	रायपुर	श्री भगवान महावीर जैन एजूकेशन एवं कल्चरल समिति	2342 07.05.2003	मैट्स विश्वविद्यालय पंडरी रायपुर	2006	IT, PHD, B.E., MBA, LAW

शर्तें :–

1 गैर अनुदान प्राप्त तथा अनुदान प्राप्त अल्पसंख्यक शैक्षणिक संस्था में प्रवेश केवल अल्पसंख्यक समुदाय तक ही सीमित नही रहेगा, लेकिन अल्पसंख्यक के आवेदको को प्राथमिकता दी जा सकेगी, परन्तु इस संबंध में संवैधानिक प्रावधानों के अनुरूप केन्द्र एवं राज्य शासन द्वारा निर्धारित नियम बाध्यकारी होगें।

2 शैक्षणिक संस्थाओ द्वारा पूर्णतः धार्मिक निर्देश/शिक्षा प्रदाय नही किया जावेगा।

3 संस्था द्वारा यह भी अनिवार्य रूप से पालन किया जावेगा कि अल्पसंख्यकों द्वारा चलाई जा रही संस्था का (Privilege) दुरूपयोग/अनुचित लाभ किसी व्यक्ति या संस्था के लिये नही करेंगी।

4 संस्था किसी विद्यार्थी को बिना उनके अभिभावकों की पूर्व लिखित सहमति के किसी विशेष धार्मिक प्रवचन/पूजा के लिये बाध्य नहीं करेगें।

5 संस्था में भर्ती के लिए चयन प्रकिया हेतु विश्वविद्यालय/मण्डल तथा राज्य शासन के नियम/निर्देश लागू होगें, निर्धारित शैक्षणिक अहर्ता में शिथिलता नहीं दी जावेगी। योग्य शिक्षक एवं अन्य अमले हेतु भर्ती करने की स्वतंत्रता रहेगी, परन्तु सलाह दी जाती है कि शिक्षकों तथा अन्य अमलों का चयन खुली (Open) विज्ञप्ति से एवं पारदर्शी प्रकिया से किया जाये।

6 शैक्षणिक संस्था के प्रशासन एवं प्रबंधन के लिये नियम रहेंगे जिसमें संस्था संबंधित संचालनालय/मण्डल/विश्वविद्यालय से सम्बद्धीकरण आदि का स्पष्ट उल्लेख होगा, शिक्षकों की सेवा शर्ते तथा योग्यता निर्धारित करते समय संस्था द्वारा सामाजिक एवं साम्प्रदायिक सद्भावना बनाये रखा जायेगा ।

7 संस्था के शिक्षकीय एवं गैर शिक्षकीय अमले के लिये अनुशासन, नियम बनाते समय प्राकृतिक न्याय के सिद्धान्त का ध्यान रखा जाये, संस्था के उत्कृष्ट प्रशासन का ध्यान रखा जाये, शैक्षणिक संस्थाओं के लिये जो अन्य सामान्य नियम है वह भी लागू होंगे ।

8 संस्था की प्रबंधकारिणी में अधिकांश अल्पसंख्यक समुदाय के सदस्य रहेंगे, यह सुनिश्चित किया जावे । साथ ही संवैधानिक प्रावधानो के अनुरूप केन्द्र एवं राज्य शासन द्वारा निर्धारित नियम भी लागू होंगे।

9 किसी अल्पसंख्यक शैक्षणिक संस्थाओं को विश्वविद्यालय/मण्डल से सम्बद्धीकरण के लिये प्रवेश मे वरीयता का आधार, शिक्षा की उत्कृष्टा, प्रवेश की सुव्यवस्थित एवं पारदर्शी प्रणाली, आवश्यक भौतिक संरचना, पाठयकम तथा शैक्षणिक गुणवत्ता आदि की पूर्ति का ध्यान रखा जाना होगा।

10 विश्वविद्यालय/महाविद्यालय/शैक्षणिक संस्था के किसी भी पाठ्यकम में प्रवेश का आधार राज्य शासन के संबंधित विभागों द्वारा जारी प्रवेश नीति तथा शैक्षणिक संस्थाओं के लिए निर्धारित सीट के अनुरूप होगा, विभिन्न पाठ्यकमों में राज्य शासन द्वारा निर्धारित कोटे के अनुरूप प्रवेश की पात्रता अंतिम रूप से मान्य होगी।

11 गैर अनुदान प्राप्त अल्पसंख्यक शैक्षणिक संस्थाओ को इस विषय में राज्य शासन द्वारा जारी नीति तथा निर्देशों के अंतर्गत रहते हुये शिक्षण शुल्क लेने की स्वतंत्रता होगी परन्तु अनुचित लाभ अर्जन नही किया जा सकेगा, "केपीटेशन फीस" लिये जाने की अनुमति नही होगी, इस संबंध में विभिन्न याचिकाओं में माननीय उच्चतम न्यायालय एवं माननीय उच्च न्यायालय द्वारा पारित निर्णय/निर्देश लागू होंगे।

12 संस्था द्वारा अपने बायलाज (नियमावली) में अल्पसंख्यक समुदाय के हित में किये जाने वाले कार्यो, उद्देश्य का विस्तृत उल्लेख करते हुए फर्म एवं सोसायटी में अतिरिक्त प्रति भेजकर सत्यापित करते हुए तीन माह के भीतर इस कार्यालय को जानकारी दी जावेगी।

यदि संस्था द्वारा उपरोक्त नियमो/निर्देशो का उल्लघन करते पाया जाता है तो मान्यता निरस्त किया जा सकेगा।

3-9-14

(एन. के. खाखा)
आयुक्त
आदिम जाति तथा अनुसूचित जाति विकास
छत्तीसगढ़, रायपुर

पृ0क्रमांक/अ0सं0/151/2013–14/ 7191 रायपुर, दिनांक 03/09/14

प्रतिलिपि :–

1 सचिव, छ0ग0 शासन, आदिम जाति तथा अनुसूचित जाति विकास विभाग, मंत्रालय, महानदी भवन, नया रायपुर।
2 सचिव, छ.ग. शासन, शिक्षा विभाग, मंत्रालय रायपुर।
3 कलेक्टर, जिला–रायपुर (छ0ग0)।
4 सहायक आयुक्त, आदिवासी विकास, जिला–रायपुर (छ0ग0) को सूचनार्थ तथा आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।
5 सचिव, छ0ग0 राज्य, अल्पसंख्यक आयोग रायपुर।
6 संबंधित सचिव, श्री भगवान महावीर जैन एजुकेशनल एवं कल्चरल समिति मैट्स टावर, पंडरी रायपुर, जिला–रायपुर (छ0ग0) की ओर सूचनार्थ एवं पालनार्थ।

आयुक्त
आदिम जाति तथा अनुसूचित जाति विकास
छत्तीसगढ़, रायपुर